अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2005

सं. एफ 37-3/विधि/2004--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (ख), (छ), (झ), (ट), (त) और (फ) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित विनियमों का निरसन किया जाता है :--

1. अधिसूचना संख्या एफ 304-4/सीसीएफ/रेग./98, दिनांक 31 अक्तूबर, 1994 के लिए जो 23 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित हुई थी।
2. अधिसूचना संख्या एफ 711-6-1/ईटी/96 दिनांक 11 अप्रैल, 1997 जो 12.12.1997 को प्रकाशित हुई थी।
3. अधिसूचना संख्या 37-3/विधि/2000 दिनांक 16 अगस्त, 2000 जो 26 अगस्त, 2000 को प्रकाशित हुई थी।
4. अधिसूचना संख्या 37-3/विधि/iv/2002 दिनांक 20 नवम्बर 2002 जो 25 नवम्बर 2002 को प्रकाशित हुई।
5. अधिसूचना संख्या 37-3/विधि/ (iii)/2002 दिनांक 10 सितम्बर, 2003 जो 20 अक्तूबर, 2003 को प्रकाशित हुई।

ऊपर उल्लिखित विनियमों के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किये जाते हैं, अर्थात् :--

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रारंभ करने और पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन तथा विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन को जारी रखने हेतु अनुमोदन प्रदान करना विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) परिभाषाएं :--

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 (1987 का 52);

(ख) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत है सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा निजी (स्व-वित्तपोषित) संस्थाएं जो एमसीए, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन, फेषजी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प सहित इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य कार्यक्रमों एवं विषयक्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध क्षेत्र में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

(ग) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हे यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें क्रमश: उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है ।

(3) उद्देश्य :-

ये विनियम निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होंगे :

क) नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करना :

ख) तकनीकी संस्थाओ में नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने अथवा तकनीकी संस्थाओं में विद्यमान पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान करना ;

ग) विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए आगे अनुमोदन प्रदान करना :

(4) प्रयोज्यता

ये विनियम ऐसी सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा निजी (स्व-वित्तपोषित) संस्थाओं पर लागू होंगे जो एमसीए, वास्तुकला , नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी ,अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प सहित इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य कार्यक्रमों एवं विषयक्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध क्षेत्र में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही हैं ।

(5) अनुमोदन प्रदान करने की अपेक्षाएं :

(1) परिषद् से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना सरकार, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अथवा निजी(स्व-वित्तपोषित) कोई भी तकनीकी संस्था प्रारंभ नहीं की जाएगी अथवा तकनीकी शिक्षा में नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किए जाएंगे तथा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(2) परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अथवा निजी (स्ववित्त पोषित) कोई भी विद्यमान तकनीकी संस्था तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेगी ।

(6) आवेदनों का प्रक्रमण :

(1) नई तकनीकी संस्था की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु आवेदनों के प्रक्रमण की पद्धति :-

(क) "आशय-पत्र" प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित संस्थाओं, पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संबंध में परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट पत्र में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन अभातशिप, नई दिल्ली में प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

(ख) परिषद् नई तकनीकी संस्थाएं प्रारंभ करने के लिए प्राप्त आवेदनों की व्यवहार्यता पर संबंधित राज्य सरकार से अनुशंसा प्राप्त करेगी ।

(ग) आवेदनों की व्यवहार्यता के संबंध में सिफारिशें अग्रेषित करते समय राज्य सरकारें अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कारण एवं औचित्य उपलब्ध कराएंगी तथा वे ऐसा परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित तारीख तक करेंगी ।

(घ) नई तकनीकी संस्था की स्थापना के लिए 'आशय पत्र' जारी करने से पूर्व संबंधित राज्य में तकनीकी शिक्षा सुविधाओ की मांग एवं आवश्यकता सहित अन्य संगत कारकों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

(ङ) आवेदक को मामले में सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान किए बिना कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा अस्वीकृति के कारण संबंधित संस्था को विधिवत् रूप से बताए जाएंगे ।

(च) आशय-पत्र अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जिसके दौरान संस्था परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्णित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों के अनुसार सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगी ।

(छ) उस आवेदक संस्था को, जिसके लिए आशय पत्र जारी किया गया है, पूरी तरह से तैयार हो जाने पर निरीक्षण करने के लिए परिषद् को आवेदन करना अपेक्षित होगा ।

(ज) परिषद् एक निरीक्षण समिति के माध्यम से आवेदक के खर्च पर आवेदक न्यास/सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को प्रमाणित करेगी तथा परिषद् द्वारा समय-समय द्वारा विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों को पूरा करने पर ही 'अनुमोदन पत्र' प्रदान किया जाएगा ।

(झ) ऐसे मामलों में, जहां परिषद् द्वारा विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों के पूरा न होने पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए इंकार किया गया हो, वहां संबंधित संस्थाओं को मना करने के आधारों के विषय में सूचित किया जाएगा ।

(2) **नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने और/अथवा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन और/अथवा अनुमोदन के विस्तारण के लिए अनुमोदन की मंजूरी हेतु प्रस्तावों के प्रक्रमण के लिए पद्धति**

(क) नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने और/अथवा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन और/अथवा अनुमोदन के विस्तारण के लिए अनुमोदन की मंजूरी के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन अभातशिप, नई दिल्ली में प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

(ख) परिषद् ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किए गए सभी आवेदनों पर परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों के अनुसार विचार करेगी ।

(ग) परिषद् आवेदन में उल्लिखित प्रयोजनों के औचित्य के संबंध में संबद्धक विश्वविद्यालय से परामर्श करेगी । संबद्धक विश्वविद्यालय विनिर्धारित अवधि तक सशक्त कारणों के साथ सिफारिशें उपलब्ध कराएगा । परिषद् अंतिम निर्णय लेने से पूर्व संगत कारकों के साथ ऐसी सिफारिशों को ध्यान में रखेगी ।

(घ) एक निरीक्षण समिति आवेदक के खर्च पर संस्था के परिसर की विजिट करेगी और आवेदन में दिए गए सभी विवरणों का सत्यापन करेगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था की क्षमता का निरीक्षण करेगी ।

(ङ) जहां तक संभव हो, बार-बार की जाने वाली विविध विजिटों से बचा जाएगा तथा एक व्यापक विजिट के माध्यम से संस्था का औचित्यसम्मत मूल्यांकन किया जाएगा । विजिट में सहभागिता करने के लिए राज्य सरकारों तथा संबद्धक विश्वविद्यालयों को आमंत्रित किया जाएगा ।

(च) तकनीकी शिक्षा के पणधारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निरीक्षण समिति का कार्यक्रम अभातशिप वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा

(छ) परिषद् के संबंधित ब्यूरो के सलाहकारों से मिलकर बनी मूल्यांकन समिति परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा अपेक्षाओं के अनुसार प्राप्त की गई संगत जानकारी के साथ-साथ निरीक्षण समिति की रिपोर्ट की जांच करेगी । राज्य सरकार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे नहीं) तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय (डीन के रैंक से नीचे नहीं) को भी परामर्श हेतु आमंत्रित किया जाएगा ।

(ज) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सदस्य सचिव से मिलकर बनी ईसी उप-समिति अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी । किसी आवेदन को अस्वीकृत करने के कारणों के बारे में संबंधित संस्था को सूचित किया जाएगा ।

(7) परिषद् प्रत्येक वर्ष तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं, परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों एवं कार्यकमों के नाम तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की गई सीटों की संख्या (वार्षिक प्रवेश क्षमता) को प्रकाशित करेगी तथा संबंधित प्राधिकारियों एवं एजेंसियों को इसके उद्धरण संप्रेषित करेगी ।

(8) अनुमोदन के लिए विभिन्न प्रस्तावों के प्रक्रमण के लिए समय सारणी परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी ।

(9) निर्वचन :

(1) यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा ।

(2) परिषद् के पास इन विनियमों के क्रियान्वयन के संबंध में उठने वाली सभी शंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्तियां है ।

(10) छूट देने की शक्ति :

परिषद् किसी समस्या अथवा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले ऐसे हों अन्य किसी कारण को दूर करने के लिए संस्था के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों में छूट दे सकेगी ।

(11) अनुमोदन का वापस लिया जाना :

यदि कोई संस्था इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो परिषद् , ऐसी जांच कराने के पश्चात् , जिसे वह उपयुक्त समझे तथा संबंधित तकनीकी संस्था को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन वापस ले सकेगी ।

अनुराधा गुप्ता
सदस्य सचिव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली-110058 31 दिसम्बर, 2004

सं. २०-५/२००२-के.पं. जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हैं जो हरियाणा राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद , नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा ।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन जनवरी २००० से मई २००१ तक शामिल भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (हरियाणा) का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है । और उसमें यदि कोई भूल/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद , 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए ।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

New Delhi, January 6, 2005

No. F. 37-3/Legal/2004 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 read with section 10 (b), (g), (i), (k), (p) & (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the following regulations notified by the Council are repealed:

1. Notification No. F. 304-4/ CCF/REG/98 for dated 31st October, 1994 and published 23rd November, 1994,
2. Notification No. F. 711-6-1/ET/96 dated 11th April, 1997 published on 12.12.1997,
3. Notification No. 37-3/Legal/2000 dated 16th August, 2000 published on 26th August, 2000,
4. Notification No. 37-3/Legal/iv/2002 dated 20th November 2002 and published on 25th November 2002,
5. Notification No. 37-3/Legal(iii)/2002 dated 10th September, 2003 published on 20th October, 2003,

In place of the afore mentioned Regulations, the following Regulations are hereby notified, namely:-

(1) Short title and commencement:-

(1) These **Regulations** may be called the All India Council for Technical Education Grant of approval for starting new technical institutions, introduction of courses or programmes and variation of intake capacity of seats for the courses or programmes and continuation of approval for the existing technical institutions **Regulations**, 2004.

(2) They shall come into force on date of publication in the Official Gazette of India.

(2) Definitions:-

In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(b) 'Technical institution" means the institution of Government, Government Aided and Private (self financing) institutions conducting the courses / programmes in

the field technical education, training and research in Engineering, Technology Including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such and such other programmes and areas as notified by the Council from time to time;

(c) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act;

(3) Purpose:-

These Regulations shall be for the purposes of :-

(a) Grant of approval for establishment of new technical institutions;

(b) Grant of approval for introduction of new courses or programs in technical institutions or variation in intake in existing courses or program in technical institutions;

(c) Grant of continuation of approval for the existing technical institutions;

(4) Applicability; -

These Regulations shall be applicable to technical institutions of Government, Government Aided and Private (self financing) institutions conducting the courses / programs in the fields of technical education, training and research in Engineering, Technology Including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programs and areas as notified by the Council from time to time.

(5) Requirement of grant of approval: -

(1) No new technical institution of Government, Government Aided or Private (self financing) institution shall be started and no new courses or programs in Technical Education shall be introduced and no variation of intake shall be effected without obtaining prior approval of the Council.

(2) No existing technical institution of Government, Government Aided or Private (self financing) institution shall conduct any technical course without prior approval of the Council.

(6) Processing of applications: -

(1) Procedure for processing of application for grant of approval for establishment of new technical institutions:-

(a) Applications shall be submitted to the AICTE New Delhi for ~~obtaining a "Letter~~ **of Intent**" in the prescribed format along with requisite documents, complete in all respects, as per the time schedule published by the Council from time to time in respect of the institutions, courses / programs proposed to commence in the subsequent academic year.

(b) The Council shall seek recommendations from the concerned State Government on the viability of the applications received for starting new technical institutions.

(c) The State Govts, while forwarding the recommendations on the viability of the applications, shall provide reasons and justification to substantiate their stand and do so by the date stipulated by the Council from time to time.

(d) The recommendations of the concerned State Government shall be taken into consideration, among various other relevant factors, including the demand and requirement of the technical educational facilities in respective states, before issuing a "Letter of Intent" for establishment of new technical institutions.

(e) No application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter and the grounds for rejection shall be duly communicated to the concerned Institution.

(f) The Letter of Intent shall be valid for a maximum period of 3 years, during which the Institution shall complete all requirements as per the Norms & Standards and conditions as decided by the Council from time to time.

(g) The applicant institution, for which a Letter of Intent was issued shall be required to make an application to the Council for making an inspection, on being ready.

(h) The Council shall verify the availability of infrastructure and other facilities provided by the applicant Trust/ Society through an Inspection Committee at the cost of the applicant and grant "**letter of approval**" for establishment of new technical institution only on fulfillment of norms & standards and conditions prescribed by the Council from time to time.

(i) In cases where approval is denied for non-fulfillment of norms, & standards and conditions as may be stipulated by the Council, grounds of denial shall be communicated to the concerned institutions.

(2) Procedure for processing of applications for grant of approval for introduction of new courses or programs and/or for variation in the intake capacity and/or extension of approval:

(a) Applications shall be submitted to the AICTE New Delhi for grant of approval for introduction of new courses or programs and/or for variation in the intake capacity and/or extension of approval in the prescribed format along with requisite

documents, complete in all respects, as per the schedule published by the Council from time to time.

(b) The Council shall consider all applications made for the aforementioned purposes as per the Norms & Standards and conditions laid down by the Council from time to time.

(c) The Council shall consult the Affiliating University regarding feasibility of the purposes mentioned in the application. The Affiliating University shall provide recommendations within the stipulated period along with cogent reasons. The Council would take into account such recommendations along with relevant factors before taking final decision.

(d) An Inspection Committee shall, at the cost of the applicant, visit the premises of the institution and verify all details furnished in the application and examine the capability of the institution to impart quality education.

(e) As far as possible, multiple visits will be avoided and holistic appraisal of the institution through a comprehensive visit would be undertaken. State Govts and affiliating Universities would be invited to join the visit.

(f) The schedule of the Inspection Committee visits would be displayed on AICTE web site to encourage participation of the stakeholders of technical education.

(g) An Appraisal Committee comprising the ~~Advisors~~ Technical Expert Committee heading the concerned Bureaus of the Council would examine the Inspection Committee reports along with other relevant information obtained as per the norms; standards and requirements prescribed by the Council from time to time. Representatives of State Govt (not below the rank of Joint Secretary) and the Affiliating University (not below the rank of Dean) would also be invited for consultation.

(h) An EC Sub committee comprising the ~~Chairman~~, Vice Chairman, ~~Secretary Education, Ministry of HRD~~ and Member Secretary would take a final decision on granting of approval. Reasons for regret of an application would be duly communicated to the concerned institutions.

(7) The Council shall, in every year publish the names of approved technical institutions, conducting courses in technical education, the courses and programs approved by the Council and the number of seats permitted (annual intake capacity) for each course or program and communicate relevant extracts of the same to the concerned authorities and agencies.

(8) The time schedule for processing various proposals for approval shall be notified by the Council from time to time.

(9) **Interpretation: -**

(1) If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Council.

(2) The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these Regulations.

(10) Power of relax:

The Council may, for removal of any hardship or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of institutions.

(11) Withdrawal of approval: -

If any technical institution contravenes any of the provisions of these Regulations, the Council may, after making such inquiry, as it may consider appropriate and after giving the technical institution concerned an opportunity of being heard, withdraw the approval granted under these Regulations.

ANURADHA GUPTA IAS
Member Secretary

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

New Delhi-110058, the 31st December 2004

No. 20-5/2002-C.R. Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section(1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Haryana and who possess any of the medical qualification recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:- Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Haryana) from January 2000 to March 2001 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P.R. SHARMA
Registrar